



2026:AHC:15780

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट याचिका-सी संख्या - 1921 सन् 2026

गुलाब नाथ याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : नागेश द्विवेदी, सतीश कुमार तिवारी, सुशील कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया,

1. उपस्थित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. इस याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई एकमात्र राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/उप मंडल मजिस्ट्रेट, फूलपुर जिला, प्रयागराज को निर्देश दिया जाए कि वे वाद संख्या 324/2024, जिसे वाद संख्या 6803/2024 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T 202402030206803) में परिवर्तित कर दिया गया है, (गुलाब नाथ शुक्ला बनाम राकेश चंद्र और अन्य), जो उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के तहत दायर किया गया है, का शीघ्र निपटारा करें।
3. अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पूरी याचिका में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि कोई असाधारण परिस्थिति है, न ही याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में कोई तर्क दिया गया है कि निचली अदालत को उपरोक्त मामले का समयबद्ध तरीके से निर्णय करने का निर्देश दिया जाए, सिवाय इसके कि मुकदमा वर्ष 2024 में दायर किया गया है।
4. उपरोक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी जा सकती। हालांकि, निचली अदालत से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्त मामले का निर्णय कानून के अनुसार ही करे, बिना किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।
5. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, याचिका का निपटारा किया जाता है।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



21 जनवरी, 2026

सकलैन

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"